N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0125 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 27/06/2024 17:58 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 24/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 25/06/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:25 बजे **Time To (समय तक):** 16:27 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 27/06/2024 **Time (समय):** 16:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 27/06/2024 17:58:45 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 280 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** NAGAR PALIKA SANGOD, KOTA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** JITESH SUMAN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** LALCHAND SUMAN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1991 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	TEHSIL ROAD, POLICE CHOKI KE PAS, SANGOD, SANGOD, KOTA RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	TEHSIL ROAD, POLICE CHOKI KE PAS, SANGOD, SANGOD, KOTA RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DEVENDRA KUMAR		पिता:PARASRAM	1. KHATIKO KA MOHALLA,KANWAS,KOTA CITY,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 4,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय , हालात इस प्रकार है दिनांक 24.06.2024 को मन् पुलिस निरीक्षक को श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, कोटा द्वारा उनके कक्ष मे बुलाकर उनके पास उपस्थित परिवादी श्री जितेश सुमन पुत्र श्री लालचन्द सुमन जाति माली उम्र 33 साल निवासी पुलिस चौकी के पास तहसील रोड, सांगोद जिला कोटा सें आपसी परिचय करवाकर जितेश सुमन द्वारा उनको पेश शिकायत सें अवगत कराकर परिवादी द्वारा उनको पेश प्रार्थना पत्र मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जो इस आशय का था प्रार्थी का एलईडी वाल स्क्रीन का काम है। मैं सरकारी एवं प्राईवेट कार्यक्रमों में वाल स्क्रीन का काम करता हू। मैंने दिसम्बर 2023 से अप्रेल 2024 तक मेरी फर्म जेबी फिल्म इवेंन्ट के माध्यम से नगरपालिका सांगोद में स्क्रीन वाल का काम किया था। जिसकी एवज में मेरे 18000 के बिल नगर पालिका सांगोद में पेंण्डिंग चल रहे हैं। इस बारे में मैंने नगर पालिका सांगोद में बिलों को पास कराने के लिए सम्पर्क किया तो मुकेश कुमार के पास काम करने वाले देवेन्द्र कुमार, फायरमेन ने मेरे से कहा कि आपको खर्चापानी करना पडेगा तब ही आपके बिल पास होंगे। देवेन्द्र कुमार ने मेरे से कहा है कि 5 हजार रूपये दे दोगे तो मुकेश जी से मैं बात कर लूंगा आपका बिल पास हो जाएगा। इस प्रकार देवेन्द्र कुमार, फायरमैन मेरे बिल पास कराने की एवज में मुझसे 5000 रूपये की मांग कर रहा है। मैं मेरे वैध काम के लिए रिश्वत नहीं देना चाहता हू तथा गलत तरीके से रिश्वत के रूपये मांगने वाले कर्मचारियों को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। मेरा उक्त देवेन्द्र कुमार व मुकेश कुमार से मेरा कोई झगडा नहीं है तथा ना ही कोई पुराना लेनदेन बकाया है"। परिवादी श्री जितेश सुमन से पूछताछ पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है एवं परिवादी ने बताया कि देवेन्द्र ने मेरे से कहा है कि तूने पहले भी कोई सेवा नहीं की है। मुकेश जी अकाउन्टेंट से मैं आपके बिलों के बारे में बात करके आपका काम करवा दूंगा। वह मुझसे कल मेरे काम एवं रिश्वत के संबंध में वार्ता करेगा, मुझे कल आवश्यक काम है इसलिये में कोटा नहीं आ सकता हूं। इस पर श्री नरेन्द्र सिहं हैड कानि.140 को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी से श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि का आपस में परिचय करवाया गया। कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड निकलवाया जाकर परिवादी को डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को बन्द व चालू करने की विधि समझाई गई। रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जायेगा। सत्यापन में जैसी स्थिति बनेगी तद्ररूप अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। परिवादी को रूखसत किया गया। दिनांक 25.06.2024 समय 9.00 एएम पर श्री बृजराज हैड कानि 144 से मालखाना खुलवाकर डिजिटल वॉयस रिकार्डर लिकलवाकर प्रकरण में सत्यापन की कार्यवाही के लिए श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि को डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्दकर एवं सांगोद जाकर परिवादी श्री जितेश सुमन से सम्पर्क कर डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालु व बन्द करने की विधि अच्छी तरह समझाने की हिदायत कर सत्यापन की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर प्राईवेट वाहन से रवाना किया गया। समय 12.30 पीएम पर श्री नरेन्द्र हैड कानि 140 ने मन पुलिस निरीक्षक को जरिये वाट्सएप कॉल करके बताया कि करीबन 11.00 बजे मैं सांगोद पहुंच गया था तथा परिवादी सें मिलकर उसको डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चलाने की विधी समझाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करवाकर नगर पालिका सांगोद में आरोपी सें मिलकर रिश्वत मांग के संबंध में वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु भेज दिया था तथा मैं नगर पालिका सांगोद के मेनगेट के पास ही खडा हुआ था कुछ समय बाद जितेश सुमन वापस आया तथा उसने बताया कि मेरी नगर पालिका सांगोद में देवेन्द्र जी सें मेरे कार्य व मेरे कार्य के बिल पास करवाने की एवज में 4000 रू. रिश्वत में आज ही दो तीन बजे तक देने के संबंध में बात हुई हैं जो आपके डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के कार्ड में रिकॉर्ड हो गई हैं मेरे घर पर आवश्यक कार्य हैं इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकता मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4000 रू. की व्यवस्था करके आपको सांगोद ही मिलुंगा। इस पर श्री नरेन्द्र सिंह को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर कार्यालय हाजा आने के लिए कहा गया। हालात से ट्रेप कार्यवाही की पूर्ण संभावना के मद्धेनजर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु श्री अभिषेक कानि 197 दो स्वंतत्र गवाह हमराह लाने हेतु उप वन संरक्षक कोटा के कार्यालय में रवाना किया गया। समय 01.30 पीएम पर श्री अभिषेक कानि 197 मय स्वतंत्र गवाह श्री धीरज सैनी पुत्र श्री सुरेश चंन्द सैनी जाति माली उम्र 21 साल निवासी गुलाबबाडी लाडपुरा कोटा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक कोटा एवं श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री नाथुलाल जाति भील उम्र 27 साल निवासी ग्राम ढाणी पोस्ट मवासा तहसील लाडपुरा थाना कैथून जिला कोटा हाल कनिष्ठ सहायक

कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा के कार्यालय हाजा में उपस्थित हुआ। दोनों स्वतंत्र गवाहान को होने वाली ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाया जाकर बतौर स्वतंत्र गवाह ट्रेप कार्यवाही में शामिल होने की स्वीकृति चाही गई तो श्री धीरज सैनी एवं श्री सुरेश कुमार ने ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की मौखिक स्वीकृति प्रदान की। आरोपी देवेन्द्र कुमार के विरूद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में अब तक हुई कार्यवाही से दोनों गवाहान को अवगत कराया गया तथा परिवादी द्वारा दिनांक 24.06.2024 को एसीबी को पेश की गई शिकायत के प्रार्थना पत्र को पढाया गया। गवाह श्री धीरज सैनी एवं श्री सुरेश कुमार ने उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र पढ कर अपने अपने हस्ताक्षर किए। समय 2.00 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय कोटा में श्री नरेन्द्र हैड कानि 140 ने उपस्थित होकर मन पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के पेश किया। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा श्री नरेन्द्र िसह हैड कानि. को कहे गये कथनो की पुष्टि हुई। वार्ता में आरोपी ने परिवादी सें 4000 रू. की डिमाण्ड की हैं तथा आज ही रिश्वती राशि लेकर बुलाया है। ट्रेप कार्यवाही हेतु दो वाहनो की जरूरत हैं अतः कार्यालय हाजा के वाहन बोलेरो के अतिरिक्त अन्य वाहन हेतु उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार श्री घनश्याम कानि चालक मय सरकारी वाहन टवेरा के उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जिस पर घनश्याम कानि. मय वाहन के उपस्थित हुआ। समय 02.45 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक ने श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 से मालखाने से फिनॉलफथलीन पाउडर का डिब्बा निलकवाया जाकर सरकारी वाहन, बोलेरो के डेस्क बोर्ड में सुरक्षित रखवाया गया तथा मय स्वतंत्र गवाहान श्री धीरज सैनी एवं श्री सुरेश कुमार, श्री अनीष अहमद, उप पुलिस अधीक्षक एवं जाप्ता श्री नरेन्द्र हैड कानि 140, बृजराज हैड कानि 144, योगेन्द्र सिंह कानि. 282, श्री अभिषेक कानि 197, श्री आशिक हुसैन सउनि, श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 दो सरकारी वाहन मय चालक श्री तंवर सिंह एवं श्री घनश्याम मीणा के मय लेपटॉप प्रिंटर, स्टेशनरी, अनुसंधान बॉक्स, ट्रेप बॉक्स, यूपीएस, ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड एवं डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय नये मैमोरी कार्ड के सांगोद के लिए रवाना होकर सांगोद कस्बे में पूर्व सें पाबन्दशुदा परिवादी के पास सांगोद सें कुन्दनपुर रोड बाईपास पर पहुचे जंहा रूबरू गवाहान परिवादी श्री जितेश सुमन पुत्र श्री लालचन्द सुमन उम्र 33 साल निवासी-पुलिस चौकी के पास, तहसील रोड, सांगोद जिला कोटा ने श्री देवेन्द्र कुमार हाल फायर मैन, नगर पालिका सांगोद, जिला कोटा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 08 नोट कुल 4000/- रूपये अपने पास से निकालकर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये, जिनके नम्बर इस प्रकार हैं- क्र. सं. नोटों का विवरण नोटों के नम्बर 1 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 UB 029122 2 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2 ER 973591 3 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2 ES 137738 4 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2 ES 137739 5 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2 ES 137740 6 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2 ES 137741 7 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2 ES 137742 8 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2 ES 137743 श्री अब्दुल सत्तार कानि. नं. 158 से सरकारी वाहन बोलेरो के डेसबोर्ड से फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के ऊपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया। परिवादी श्री जितेश सुमन की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सुरेश कुमार से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। आरोपी को रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये उक्त भारतीय मुद्रा के पांच- पांच रूपये के आठ नोट कुल चार हजार रूपये को परिवादी के पहनी हुई शर्ट की बायीं जेब मे श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 से सीधे ही रखवाये गये। इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में बोलेरो में रखी पानी की बोतल से साफ पानी लिया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसे गवाहान् एवं परिवादी को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग रंगहीन होना बताया। उक्त रंगहीन घोल में श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 के हाथ की उंगलियों को डालकर धुलवाया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया को गवाहान् एवं परिवादी को दृष्टांत देकर समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। डिस्पोजल गिलास के घोल को बाहर फिंकवाया गया। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जानेवाली राशि/नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था एवं दृष्टांत में काम मे लिये गये डिस्पोजल गिलास को श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 से जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 के हाथो एवं ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाले शीशियो को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुयें एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि निकालकर देवें । आरोपी से रिश्वत राशि व स्वयं के कार्य के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्वत देने के बाद मेरे मोबाईल पर मिसकॉल करके या अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करे। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया की रिश्वत के लेनदेन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। परिवादी श्री जितेश सुमन को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया जाकर हिदायत दी कि वक्त रिश्वत लेनदेन उसके एवं आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करे। श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 को फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी सहित कार्यालय हाजा हेतु मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। फर्द पेशकशी नियमानुसार मुर्तिब की जाकर

गवाहान् व परिवादी को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मान सम्बन्धितों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। फर्द पेशकशी को शमिल पत्रावली किया गया। समय 4.14 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी के परिवादी की मोटर साईकिल सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के चालु करवाकर तथा स्वतंत्र गवाहान श्री धीरज सैनी एवं श्री सुरेश कुमार श्री अनीष अहमद, उप पुलिस अधीक्षक एवं जाप्ता श्री नरेन्द्र हैड कानि 140, बृजराज हैड कानि 144, योगेन्द्र सिंह कानि. 282, श्री अभिषेक कानि 197, श्री आशिक हुसैन सउनि को दोनो सरकारी वाहन मय चालक श्री तंवर सिंह एवं श्री घनश्याम मीणा के मय लेपटॉप प्रिंटर, स्टेशनरी, अनुसंधान बॉक्स, ट्रेप बॉक्स, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड, यूपीएस एवं ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों के नगर पालिका सांगोद के पास आकर रूकने के लिए रवाना होकर पृथक-पृथक नगर पालिका सांगोद के मेनगेट जोलपा रोड सांगोद पहुंचे तथा मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से बातचीत करके परिवादी को नगर पालिका में जाकर आरोपी को रिश्वत देने हेतु रवाना किया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक व सभी जाब्ता मेन बाजार होने व भीड-भाड होने सें नगर पालिका के गेट के आसपास ही दोनो वाहनो को खडा करके परिवादी के इशारे के लिए मुकिम हुये। समय 04.27 पी.एम. पर रूबरू गवाहान के समक्ष श्री जितेश सुमन पुत्र श्री लालचन्द सुमन जाति माली उम्र 33 साल निवासी- पुलिस चौकी के पास तहसील रोड, सांगोद जिला कोटा ने नगर पालिका सांगोद के जोलपा रोड की तरफ वाले मेन गेट पर आकर अपने सिर पर हाथ फिराकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक दोनो स्वतंत्र गवाह श्री सुरेश कुमार व श्री धीरज सैनी, ट्रेप पार्टी के सदस्य, आशिक हुसैन, स.उ.नि, श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140, श्री बृजराज सिंह हैड कानि. 144, श्री अभिषेक चौधरी कानि. 197, श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282 परिवादी के पास पहुंचे। परिवादी श्री जितेश सुमन ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि कमरा नम्बर-6 में हरी शर्ट में देवेन्द्र एवं कमरा नम्बर-7 में मुकेश बैठा हुआ है। मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी व हम सभी कमरा नम्बर-6 के अन्दर गये तो सामने लगी हुई कुर्सी से एक व्यक्ति जिसने हरे रंग की शर्ट तथा जिन्स पेंट पहन रखी थी हम सभी को देखकर अपनी कुर्सी सें खडा हुआ जिसकी तरफ परिवादी ने इशारा कर बताया कि ये ही देवेन्द्र कुमार, फायरमेन हैं जिसने मेरे द्वारा फर्म जे.बी. फिल्म इवेन्ट के जरीये नगर पालिका, सांगोद में दिसम्बर 2023 सें अप्रेल 2024 तक एल.ई.डी. वाल के किये गये कार्य के 18000 रू. के बकाया बिल को पास करने की एवज में 4000 रू. की रिश्वत की मांग कर अभी 4000 रू. रिश्वत राशि मुझसे लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की जेब में रख ली है। उक्त व्यक्ति को मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर आने का मंतव्य बताकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री परसराम जाति खटीक उम्र 39 साल निवासी- खटीकों का मोहल्ला, कस्बा कनवास जिला कोटा हाल फायरमेन, नगर पालिका, सांगोद मोबाईल नम्बर- होना बताया श्री देवेन्द्र कुमार से परिवादी श्री जितेश सुमन से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो बताया कि इसके एल.ई.डी. स्क्रीन वाल लगाने के कार्य के बिल 18,000 रू. का नगर पालिका सांगोद में पेंडिग हैं । ये आज दिन में मुझसे मिला था उस समय मुकेश जी यंहा नही आये थे तब मैने इसको 4000 रू. आज ही देने पर बिल पास करने के लिए कहा था इसके बाद ये अभी 4000 रू. लेकर आया जो मैने इससे लेकर अपनी पेंट की जेब में रख लिये तथा इसने बिल एवं मुकेश जी यु.डी.सी. के लिए कहा तो मैने इसको कहा था कि मैं हूं ना कल बिल पास करवा दूंगा अगर नहीं हो तो पैसे वापस ले जाना इसके बाद ये यंहा सें चला गया था। मैं यंहा पर फायरमेन के पद पर पदस्थापित हूं। मैं पहले सहायक राजस्व निरीक्षक श्री देवकी जी के पास नगर पालिका मण्डल सांगोद में केशियर का कार्य देखता था इसके बाद मुझे 1 अप्रेल 2023 सें 13.05.2024 तक नगर पालिका मण्डल सांगोद में अकाउण्ट एवं केस का कार्य दिया गया जिससें बिल वगैरहा पास करवाने की जिम्मेदारी मेरी होती हैं, श्री मुकेश जी यू.डी.सी. को दिनांक 13.05.2024 को अकाउण्टस कार्य की जिम्मेदारी दी गई थी किन्तु बिल वगैरहा में ही पेश करता हूं इसलिए मैने जितेश सुमन सें मुकेश जी सें बिल पास करवाने की जिम्मेदारी ली थी। आरोपी देवेन्द्र कुमार ने परिवादी जितेश सुमन से रिश्वत राशि लेना स्वीकार किया हैं अतः अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। आरोपी देवेन्द्र कुमार ने परिवादी सें ली गई रिश्वती राशि 4,000 रूपये अपने हाथ सें प्राप्त कर अपनी पेंट की जेब में रखना स्वीकार किया हैं, अतः आरोपी देवेन्द्र कुमार की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की, कमरे में रखी हुई पीने के पानी की बोतल से पानी लेकर दो डिस्पोजल गिलासों में पानी डलवाकर गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी देवेन्द्र कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित किया। काम मे लिये गये दोनों डिस्पोजल गिलासों को स्वतंत्र गवाह श्री सुरेश कुमार से जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री धीरज सैनी सें आरोपी देवेन्द्र कुमार की पहनी हुई पेंट की जेब की तलाशी लिवाई गई तो सामने की दाहिनी जेब में पांच-पांच सौ रूपये के 8 नोट कुल 4,000 रूपये थे। उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान फर्द पेशकशी व दृष्टान्त में अंकित नम्बरों सें करवाया गया तो हूबहू मिलान हुआ। उक्त नोटों को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे एसीबी

लिया तथा नोटों को कागज के एक पीले लिफाफे में रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये। आरोपी देवेन्द्र कुमार ने परिवादी सें ली गई रिश्वती राशि 4,000 रूपये आरोपी की पेंट की सामने की दाहिनी जेब सें बरामद होने के कारण, आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार की पहनी हुई पेंट की जेब की धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई । कमरे में रखी हुई पीने के पानी की बोतल से पानी लेकर एक नये डिस्पोजल गिलास में पानी डलवाकर गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी देवेन्द्र कुमार की पेंट की जेब को उलटावाया जाकर गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क P-1, P-2 अंकित किया। पेंट की जेब को सुखाकर उलटवाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पेंट को एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क- P दिया गया । काम मे लिये गये डिस्पोजल गिलास को स्वतंत्र गवाह श्री सुरेश कुमार से जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। परिवादी जितेश सुमन से प्राप्त किये गये डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को लेपटोप में लगाकर चालु कर आज वक्त लेनदेन हुई रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो उक्त वार्ता डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई है, जिसमें परिवादी द्वारा अपने बिल एवं मुकेश से बात करने के संबंध में कहा तो उसने कहा कि मै हूं ना तथा तुम्हारा बिल कल पास करवा दूंगा, अगर नहीं हो तो पैसे वापस ले जाना इत्यादि वार्ता हुई है । रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक सें बनाई । तत्पश्चात आरोपी देवेन्द्र कुमार से परिवादी के कार्य के संबंध में पूछा तो अपने कक्ष में रखी हुई लोहे की अलमारी में से दस्तावेजों के तीन बंच पेश किये जिसमें सें प्रथम बंच में निम्न दस्तावेज हैः- 1.प्रपत्र संख्या 37 नियम 76(1)के अन्तर्गत आकस्मिक व्यय बिल नगर पालिका सांगोद जिला कोटा राज. अंकित हुआ, आकस्मिक व्यय बिल प्रपत्र है जिस पर J.B. फिल्म ईवेन्ट सांगोद से बिल नं 17 दिनाक 27.12.23 पेन से अंकित किया हुआ है। 2.परिवादी द्वारा नगर पालिका को पेश किया गया J.B. FILM EVENT का बिल नम्बर 25 जिसमें 7500 रू. राशि अंकित है। 3.पत्र क्रमांक 126241-541 दिनाक 26.12.2023 है जिसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा (शहरी अभियान) में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम के व्यापक प्रदर्शन करने के संबंध मे तथा विभागीय पत्र क्रमांक 35584 दिनांक 21.12.2023 संदर्भित हैं की प्रति। 4.कार्यालय नगर पालिका मण्डल सांगोद की नोटशीट हैं, जिसमें एलईडी टीवी की व्यवस्था हेतु राशि 8,000 रू. की वित्तीय एव प्रशासनिक स्वीकृति हेतु स्टोर किपर द्वारा रिपोर्ट अधिशाषी अधिकारी को संबोधित है जिस पर दिनांक 26.12.2023 अंकित है तथा अधिशाषी अधिकारी के हस्ताक्षर है। 5.उक्त पृष्ठ पर कार्यालय नगर पालिका मण्डल सांगोद, कोटा आदेश या कार्यवाही हस्ताक्षर सहित लिखा हुआ पत्र हैं जिस पर स्टोर किपर द्वारा अपने हस्तलेख से जे.बी. फिल्म ईवेन्ट के 7500 रू. का बिल आदेशार्थ पेश करने बाबत अंकन किया हुआ हैं जो दिनांक 29.01.2024 के स्टोर किपर के हस्ताक्षरित हैं तथा अधिशाषी अधिकारी के दिनांक 07.05.2024 को हस्ताक्षर अंकित है। इसी तरह के दूसरे एवं तीसरे बंच के दस्तावेजों को चेक किया तो उनमें भी इसी तरह का विवरण अंकित है तथा दूसरे बंच के प्रथम पृष्ठ पर दिनांक 12.01.2024 अंकित हैं तथा बिल में राशि कुल-6500 रू. तथा तीसरे बंच के प्रथम पृष्ठ पर दिनांक 22.01.2024 अंकित है तथा बिल राशि कुल 5000 रू.है। कुल तीनों बंच के कुल 12 पृष्ठ है जिनकी छायाप्रति करवाकर प्रमाणित करवाकर सभी तीनों प्रतियों पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार की तलाशी नियमानुसार स्वतंत्र गवाह श्री धीरज सैनी से लिवाई गई तो उनके पहने हुये कपडो में मोबाईल VIVO कम्पनी का मिला जिसमें एयरटेल कम्पनी की सीम नम्बर लगी हुई है। मोबाईल को स्वतंत्र गवाह के पास सुरक्षित रखवाया, उपरोक्त के अलावा कोई संदिग्ध वस्तू दस्तयाब नहीं हुई। मोबाईल को पृथक सें आरोपी के परिजनो को लौटाया गया । आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार के निवास की खाना तलाशी के लिए उच्चाधिकारियों को पृथक सें निवेदन किया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि परिवादी श्री जितेश सुमन द्वारा फर्म J.B. FILM EVENT के जरिये एल.ई.डी स्क्रीन वाल लगाने के नगर पालिका मण्डल, सांगोद में किये गये कार्य के 18,000 रू. के बिल पास करवाने की एवज में आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार द्वारा स्वंय एवं श्री मुकेश कुमार यू.डी.सी. के लिए 4000 रू. की मांग की गई तथा दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी के बिल पास करवाने की एवज में परिवादी से 4000 रू. प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की जेब में रखने, रिश्वत राशि आरोपी की पहनी हुई पेंट की जेब से बरामद होने, आरोपी देवेन्द्र कुमार के दाहिने एवं बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे के धोवन का रंग गुलाबी आने एव आरोपी की पेंट की जेब का धोवन का रंग गुलाबी आने सें आरोपी देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री परसराम जाति खटीक उम्र 39 साल निवासी- खटीकों का मोहल्ला, कस्बा कनवास जिला कोटा हाल फायरमेन, नगर पालिका, सांगोद का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। डिटेनशुदा आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार को पृथक से जर्ये फर्द गिरफ्तार किया जावेगा। समय 06.30 पी.एम. पर डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड दिनांक 25.06.2024 को परिवादी श्री जितेश सुमन व आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप मे श्री नरेन्द्र सिह हैड कानि. 140 के द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया, जिसमें रिकॉर्ड वार्ता मे से परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार की होना पहचान कर बताया। उक्त वार्ता की श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, नियमानुसार तैयार करवाई जाकर

सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली की गई। समय 07.40 पी.एम. पर डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड दिनांक 25.06.2024 को परिवादी श्री जितेश सुमन व आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार के मध्य हुई वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप में श्री नरेन्द्र सिह हैड कानि. 140 के द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया, जिसमें रिकॉर्ड वार्ता मे से परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार की होना पहचान कर बताया। उक्त वार्ता की श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन वार्ता नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली की गई। समय 8.10 पी.एम. पर दिनांक 25.06.2024 को परिवादी श्री जितेश सुमन एंव आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 25.06.2024 को परिवादी श्री जितेश सुमन एंव आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार के मध्य रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त हुई वार्ता, जिन्हे परिवादी द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए पृथक-पृथक मेमोरी कार्ड sandisk 32 GB micro SDHC-1 में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ता की प्रथम मेमोरी कार्ड में एक फाईल 240625_1141 जो 26,380 KB की जो कुल समय 18 मिनट 45 सैकिण्ड की हैं तथा द्वितीय मेमोरी कार्ड में फाईल 240625_1614 जो 18,938 KB जो समय 13 मिनट 27 सेकिण्ड की हैं। उक्त दोनों वार्ताओं को श्री नरेन्द्र सिह हैड कानि0 140 के द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर में दोनों मेमोरी कार्ड को पृथक-पृथक लगाकर मेमोरी कार्ड सहित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से लेपटोप मे कनेक्ट कर पृथक-पृथक दोनों मेमोरी कार्ड सें कॉपी कर sandisk Cruzer Blade USB 2.0 Flash Drive 32 GB में पेस्ट कर चार पेन ड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमे से एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेन ड्राईव नमूना आवाज कार्यवाही के लिये व एक पेन ड्राईव आरोपी के लिये पृथक-पृथक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर की गई तथा दोनों मेमोरी कार्ड sandisk 32 GB micro SDHC-1 को मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर, दोनों मेमोरी कार्ड को कवर सहित कपडे की थैली में पृथक-पृथक रखाकर सील्ड मोहर कर सभी सील्ड मोहर दोनों थैलियों पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे मे अनशील्ड रखा गया। फर्द जब्ती पेन ड्राईव व मैमोरी कार्ड मुर्तिब की जाकर सम्बधितो को पढकर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सभी ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। फर्द मुर्तिब शामिल पत्रावली की गई। समय 08.25 पी.एम. पर आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार व परिवादी श्री जितेश सुमन के मध्य दिनांक 25.06.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा वक्त रिश्वत राशि लेन देन के समय हुई वार्ता में रिकॉर्ड आवाज का एफ.एस.एल. जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु आवाज का नमुना देने हेतु आरोपी देवेन्द्र कुमार को नोटिस दिया गया तो आरोपी ने उसको पढकर उस पर अपने स्वयं के हस्तलेख से लिखकर दिया कि मैं स्व्य इच्छा से अपनी आवाज का नमुना नहीं देना चाहता हु"। नोटिस नमुना आवाज पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 8.30 पी.एम. पर आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार द्वारा परिवादी श्री जितेश सुमन द्वारा फर्म J.B. FILM EVENT के जरिये एल.ई.डी स्क्रीन वाल लगाने के नगर पालिका मण्डल, सांगोद में किये गये कार्य के 18,000 रू. के बिल पास करवाने की एवज में स्वंय एवं श्री मुकेश कुमार, यू.डी.सी. के लिए 4000 रू. की मांग करने तथा दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी के बिल पास करवाने की एवज में परिवादी से 4000 रू. प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की जेब में रखने, रिश्वत राशि आरोपी की पहनी हुई पेंट की जेब से बरामद होने, आरोपी देवेन्द्र कुमार के दाहिने एवं बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे के धोवन का रंग गुलाबी आने एव आरोपी की पेंट की जेब का धोवन का रंग गुलाबी आने सें आरोपी देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री परसराम जाति खटीक उम्र 39 साल निवासी- निवासी- खटीकों का मोहल्ला, कस्बा कनवास जिला कोटा हाल फायरमेन, नगर पालिका, सांगोद का उक्त कृत्य धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने सें तथा आरोपी से अनुसंधान किया जाना शेष है, आरोपी प्रभावशाली है, जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गवाहों को डरा धमका कर या अन्य तरीके से प्रभावित कर सकता है एवं अनुसंधान मे विपरित प्रभाव डाल सकता है। उपरोक्त कारणों एवं आरोपी की न्यायालय मे उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु गिरफ्तारी आवश्यक होने से आरोपी को गिरफ्तारी के उपरोक्त कारणों एवं संवैधानिक अधिकार से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार कर हिरासत में लिया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के भाई धीरज कुमार को व्यक्तिगत उपस्थित होने पर दी गई। फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मानकर हस्ताक्षर करवा फर्द गिरफ्तारी शामिल पत्रावली की गई। समय 9.00 पी.एम. पर परिवादी की निशांदेही पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटना स्थल पर रोशनी की पर्याप्त व्यस्था होने से घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका कसीद किया जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री जितेश सुमन को अपने गंतव्य स्थान के लिए रूखसत किया गया। समय 10.20 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार, स्वतंत्र गवाहान श्री धीरज सैनी एवं श्री सुरेश कुमार, श्री अनीष अहमद, उप पुलिस अधीक्षक एवं जाप्ता श्री नरेन्द्र हैड कानि 140, बृजराज हैड कानि 144, योगेन्द्र सिंह कानि. 282, श्री अभिषेक कानि 197, श्री आशिक हुसैन सउनि, मय लेपटॉप प्रिंटर, डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर, अनुसंधान बॉक्स, ट्रेप बॉक्स ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों, यूपीएस, टेम्प कार्यवाही में जब्तशुदा आर्टिकल्स धोवन की शील्डशुदा 6 शीशीयां, शील्डशुदा 3 पेन ड्राईव, सील्डशुदा दो मैमोरी कार्ड, बरामदशुदा रिश्वती राशि मय लिफाफा, आरोपी की पहनी हुई पेन्ट का सील्डशुदा पैकिट मय पत्रावली तथा एक अनशील्ड पेनड्राईव के दोनो सरकारी वाहन मय चालक श्री

तंवर सिंह एवं श्री घनश्याम मीणा के सांगोद नगर पालिका से रवाना होकर एसीबी चौकी कोटा पहुंचे तथा जब्तशुदा आर्टिकल्स धोवन की शील्डशुदा 6 शीशीयां, शील्डशुदा 3 पेन ड्राईव, सील्डशुदा दो मैमोरी कार्ड, बरामदशुदा रिश्वती राशि मय लिफाफा, आरोपी की पहनी हुई पेन्ट का सील्डशुदा पैकिट को मालखाने प्रभारी से जमा मालखाना करवाया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि परिवादी श्री जितेश सुमन द्वारा फर्म J.B. FILM EVENT के जरिये एल.ई. डी स्क्रीन वाल लगाने के नगर पालिका मण्डल, सांगोद में किये गये कार्य के 18,000 रू. के बिल पास करवाने की एवज में आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार द्वारा स्वंय एवं श्री मुकेश कुमार यू.डी.सी. के लिए 4000 रू. की मांग की गई तथा दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी के बिल पास करवाने की एवज में परिवादी से 4000 रू. प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की जेब में रखे, रिश्वत राशि आरोपी की पहनी हुई पेंट की जेब से बरामद होने, आरोपी देवेन्द्र कुमार के दाहिने एवं बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे के धोवन का रंग गुलाबी आने एव आरोपी की पेंट की जेब का धोवन का रंग गुलाबी आने सें आरोपी देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री परसराम जाति खटीक उम्र 39 साल निवासी- खटीकों का मोहल्ला, कस्बा कनवास जिला कोटा हाल फायरमेन, नगर पालिका, सांगोद का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार को जर्ये फर्द गिरफ्तार किया गया है । अतः आरोपी देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री परसराम जाति खटीक उम्र 39 साल निवासी- खटीकों का मोहल्ला, कस्बा कनवास जिला कोटा हाल फायरमेन, नगर पालिका, सांगोद के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन प्रेषित है । (देशराज) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। ....कार्यवाही पुलिस................. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री देशराज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री परसराम निवासी- खटीकों का मोहल्ला, कस्बा कनवास जिला कोटा हाल फायरमेन, नगर पालिका, सांगोद के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्रीमती चन्द्र कवंर पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ईन्टे0 कोटा को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 452 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक. प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.जयपुर क्रमांक 644-47 दिनांक 27.06.2024 प्रतिलिपिःसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय भ्रष्टाचार, निवारण अधिनियम, कोटा। 2 निदेशक, स्वायत शासन विभाग, जयपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा । पुलिस अधीक्षक.प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज.जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Chandra Kanwar Tanwar **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 27/06/2024 18:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1985				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)